कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक 2518 / 12-1 देहरादून, दिनांक 16 जनवरी, 2021

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड,
सिंचाई विभाग, ऋषिकेश।

विषयः– जनपद–देहरादून में सौंग बॉध पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु 127.6712 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु सिंचाई विभाग को प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या– **No.8-16/2020-FC दिनांक–05.01.2021**

महोदय,

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित शासनादेश द्वारा प्रदत **सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित बिन्दु ए के 11 शर्तो तथा बिन्दु बी की 24 कुल 35 शर्तो प्रतिबन्धों का अनुपालन किये जाने के दृष्टिगत निम्न धनराशि का भुगतान उपरोक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या ए के अन्तर्गत अध्यारोपित शर्त सख्या–8 के अनुसार समस्त धनराशि (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण ई पोर्टल यथा https:// parivesh. nic.in के माध्यम से किया जायेगा।**

सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुसार देय धनराशि/अनुपालन किये जाने वाले बिन्दुओं का विवरण निम्न प्रकार हैः–

मद	क्षेत्रफल है0 में	घनत्व	ईको क्लास	दर/है0	धनराशि
बिन्दु संख्या–ए की शर्त संख्या–4 के अनुसार– क्षतिपूरक एवं 10 वर्षो का रखरखाव (मसूरी वन प्रभाग में प्रस्तावित)	256.00	-	-	306531.00	78471936.00
बिन्दु संख्या ए की शर्त संख्या– 3 के अनुसार एन0पी0वी0 की शुद्ध वर्तमान मूल्य के अनुसार वांछित धनराशि। (देहरादून वन प्रभाग)	34.6034	0.4	IV	657000.00	22734434.00
बिन्दु संख्या ए की शर्त संख्या– 3 के अनुसार एन0पी0वी0 की शुद्ध वर्तमान मूल्य के अनुसार वांछित धनराशि। (मसूरी वन प्रभाग)	65.0467	0.3	IV	657000.00	42735682.00
योग –चौदह करोड़ उन्तालीस लाख बयालीस हजार बावन रूपये मात्र					143942052.00

बिन्दु संख्या–ए की शर्त संख्या–3 के अनुसार– इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या– 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक–30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पंत्रांक–5-1/1998–एफ0सी0 (Pt-2) दिनांक– 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक–03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक–05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 127.6712 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा करना होगा।

बिन्दु संख्या ए की शर्त संख्या–6 के अनुसार– परियोजना में काटे जाने वाले वृक्षों के पातन में होने वाले व्यय का भुगतान की धनराशि प्रस्तावक विभाग द्वारा क्रमशः देहरादून वन प्रभाग एवं मसूरी वन प्रभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

बिन्दु बी–की शर्त संख्या–7 के अनुसार– विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या–1 से 11 तक समस्त बिन्दुओं की बिन्दुवार अनुपालन आख्या 03 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांकः– / 12–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून